भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 652

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

सघन यातायात

652. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजधानी शहरों और अन्य प्रमुख शहरों में जिनकी आबादी दस लाख से अधिक है, बाइपास या रिंग रोड का निर्माण करके सघन यातायात की समस्या का समाधान करने के लिए किसी महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया है, यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) प्रारंभिक चरण में उक्त प्रयोजनार्थ किन-किन राजधानियों और प्रमुख शहरों का चयन किया गया है; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना के लिए कोई निधि स्वीकृत अथवा जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात की भीड़भाड़ कम करने और जाम की समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से प्रमुख शहरों/शहरी केंद्रों और राज्य की राजधानियों में विकास के लिए रिंग रोड, बाइपास और उत्थापित कॉरिडोर के प्रस्तावों को स्वीकृति देती है। यातायात सघनता, गति में कमी, शहर में प्रवेश करने/बाहर निकलने वाली सड़कों की संख्या, सड़कों की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता आदि और निधियों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

*****